नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
आबंटन शरायते–ठेका फड़/फेरी व्यवसायिक शुल्क
(01–04–2026 से 31–03–2027 तक)

1. ठेका फड़/फेरी व्यवसायिक शुल्क की वसूली पालिका सीमान्तर्गत की जायेगी।
2. ठेका आबंटन हेतु निविदाऐ ई0टैण्डर वेबसाईट www.uktenders.gov.in द्वारा ही प्राप्त किये जायेगें।
3. ठेके हेतु न्यूनतम निविदा धनराशि रू 15,97,470=00 (पन्द्रह लाख सत्तानवे हजार चार सौ सत्तर रूपया मात्र) एवं 18 प्रतिशत (जी0एस0टी) अतिरिक्त निर्धारित है।
4. ई0 निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (तकनीकी निविदा) संलग्न करने अनिवार्य होगे समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति नगरपालिका कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करने अनिवार्य होगा, तकनीकी निविदा मे अर्ह पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी, अन्यथा की दशा में ई0 निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
   - आधार कार्ड।
   - पेन कार्ड।
   - निविदादाता को निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत की डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों।
   - निविदादाता को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड में निवासरत) को संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी) जो 06 माह से अधिक पुराना न हो।
   - रू 1,59,747=00 का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय एफ0डी0आर0 (मूल रूप में) जमानत धनराशि के रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - निविदादाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - निविदा प्रपत्र मूल्य रू 1500.00 एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल धनराशि रू 1,770=00 का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल में)
   - निविदादाता को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ठेके की न्यूनतम धनराशि 15,97,470=00 रू या उससे अधिकतम धनराशि का (वैध) अवधि का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं पालिका की काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में दर्ज उसके पारिवारिक सदस्यों को (राशन कार्ड में उल्लिखित) ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
   - निविदादाता को निविदा प्रपत्र में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
   - हैसियत प्रमाण पत्र में उल्लेखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण मय चौहदी का नोटरीकृत शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदादाता को तुरन्त कुल स्वीकृत निविदा की 50 प्रतिशत धनराशि व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त धनराशि सहित पालिका कोष में जमा

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद रामनगर
रामनगर-नैनीताल

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। स्वीकृत ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने एवं ठेका लिये जाने से मना करने पर ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा, एवं ठेका द्वितीय व तृतीय उच्चतर निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

6. यदि किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा नगरपालिका परिषद रामनगर से पूर्व में स्वीकृत निविदा को लेने से मना किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था को निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करना निषेध होगा।

7. ठेके की शेष 25 प्रतिशत धनराशि 31 जुलाई 2026 एवं 25 प्रतिशत धनराशि 30 नवम्बर 2026 को दो समान किस्तों में जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगरपालिका कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होगें। किस्त जमा न होने की स्थिति में पालिका कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैको का अनादर (चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र सं0–375/म0निनि0/2012–13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।

9. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

10. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तो के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों आदि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।

12. ठेकेदार को मा0न्यायालय/शासन/प्रशासन/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका रामनगर द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

13. ठेकेदार द्वारा फड़/ठेला व्यवसायियों को दी जाने वाली रसीद ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर छपवाई जायेंगी, रसीद की काउण्टर प्रतिपर्ण (काउण्टर फॉईल) विवरण सहित अपने पास रखना आवश्यक होगा, जिसे विभागीय अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

14. नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों को ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

15. ठेकेदार को फड़/फेरी व्यवसायिक शुल्क नियमों के अनुरूप 10=00 रू0 प्रति दिन प्रति फड़/ठेला शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा।

16. वर्तमान मे पालिका द्वारा वेण्डिग जोन निर्मित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है,वेण्डिग जोन के अस्तित्व में आने पर ठेकेदार को वेण्डिग जोन से सम्बन्धित पालिका के निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

17. ठेका स्वीकृत एवं अनुबन्ध होने के पश्चात् ठेकेदार को ठेके का कब्जा व वसूली हेतु आदेश दिया जाएगा।

18. ठेके के संचालन के सम्बन्ध में पालिका के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत दिए गए आदेशों/निर्देशों का ठेकेदार को पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

19. ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दिनांक 31.03.2027 को ठेके का दखल पालिका को देना होगा अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।

20. ठेके की वसूली निर्धारित दरों पर करने की पूर्ण जिम्मेंदारी ठेकेदार की स्वयं करे या वसूली पर लगाए जाने वाले व्यक्ति को फोटो सहित पहचान पत्र दिए जाने अनिवार्य होगें।

21. ठेके की धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित उच्चतम निविदादाता द्वारा पूर्व में निविदा के साथ संलग्न जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की पुनः नीलाम किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार को इसमें आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

22. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर ठेके की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

23. ठेका बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, का होगा।

24. किसी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।

25. ठेके की किसी भी प्रकार की बकाया व क्षतिपूर्ति की धनराशि भू–राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।

26. ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5000=00 (पाँच हजार रू0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार रू0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू–राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, रामनगर।

अध्यक्ष,
अध्यक्ष, परिषद
नगरपालिका परिषद, रामनगर।